

20/10/880/510/3-181(4)/92

प्रेषक,

सू०के०बी०वास्तव,
संयुक्त तपिब,
उत्तर प्रदेश शासन ।

27/12/93
Mullca
18/11/93
Photo copy
23/3/93

1993
17/12/1

सेषार्थे,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

प्राविधिक क्रि 71
दिनांक 16-4-93
रा.सहि.वा.का.प. (आक.नमर)

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

तखतः दिनांक 31 मार्च, 1993.

विषय: राजकीय महिला पालीटेकनिक, शमली के लिये नगरपालिका शमली की पट्टे पर ली जा रही भूमि के प्रीमियम के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 44965/ई-प्लान-भवन-शमली, दिनांक 20.11.92 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महिला पालीटेकनिक, शमली के लिये पट्टे पर ली जा रही नगरपालिका शमली की ली जा रही भूमि के प्रीमियम के भुगतान हेतु वर्ष 1992-93 में ₹ 16,00,000/- रुपये तालह ताल माना की धनराशि नगरपालिका शमली को भुगतान किये जाने हेतु, आपके निवर्तन पर रहे जाने की तहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह धनराशि आहरित करके निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पी०एल०ए० में रखी जायेगी और शासन की पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आहरित कर व्यय की जायेगी।

2. उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-47 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, कानपुर, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-104-बहुशिल्प-20-राजकीय महिला पालीटेकनिक, शमली, मुरादाबाद, वाराणसी एवं इलाहाबाद के लिये भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11/1257/दत्त-1993, दिनांक 31 मार्च, 1993 में प्राप्त उनकी तहमत से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सू०के०बी०वास्तव
संयुक्त तपिब ।

संख्या 880/11/प्राविधिक-3-1993 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
 2. कोषाधिकारी, कानपुर ।
 3. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालीटेकनिक, शमली। मुख्यालय नगर।
 4. नियोजन अनुभाग-4
 5. वित्त। व्यय नियंत्रण। अनुभाग-11
 6. प्लान सहायक ।

आज्ञा से,
[Signature]

सू०के०बी०वास्तव
संयुक्त तपिब ।